

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

13

अपील(सू.का.अ)संख्या 06/2022 बउनवानी चैनराज गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले. चौथ का बरवाडा पुत्र श्री जगदीश गुर्जर निवासी त्रिलोकपुरा तह0 चौथ का बरवाडा

GCMS No-2022/6

On line Appeal No- 321893198919571

तारीख हुकम
08.02.2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 9.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

1. जनवरी, 2020 से 31.7.2021 तक आपको मुरारीलाल गुर्जर हाल वार्ड पंच ग्राम पंचायत भगवतगढ जिला सवाईमाधोपुर चुनाव, 2020 में ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा से पंच पद हेतु चुनाव के नामांकन फार्म में झूठा शपथ पत्र पेश करने व संतान संबंधी गलत तथ्य प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने पर कार्यवाही करने हेतु जरिये डाक, ईमेल, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल 181 पर प्राप्त परिवादों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
2. उक्त सभी परिवादों के संबंध में उपखण्ड अधिकारी महोदय चौथ का बरवाडा द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, उक्त परिवादों के संबंध में की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे। चूंकि उक्त प्रकरण में मैं स्वयं फरियादी हूँ।
3. पंचायती राज संस्था जैसे ग्राम पंचायत के पंच पद के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा को कार्यवाही का अधिकार है या नहीं यदि कार्यवाही का अधिकार है तो किस नियम व किस आदेश के तहत क्या कार्यवाही का अधिकार है। उपलब्ध करावे।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर, राजस्थान के पत्रांक एफ.4(2)(1)/पंचा/रानिआ/03/502/दिनांक 29.3.2011 के पत्र जिसमें पंचायतीराज अभ्यर्थीयो द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यवाही करने के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया है। उक्त पत्र की प्रति के साथ जरिये डाक या ईमेल से प्राप्त हुई है या नहीं। यदि आपको प्राप्त हुई है तो आप द्वारा कार्यवाही की गयी है या नहीं। अगर कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी। उक्त संबंध में मय जानकारी के प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
5. पंच मुरारीलाल गुर्जर पर कार्यवाही हेतु आपको प्रथम परिवाद कब प्राप्त हुआ और कितने समय से कार्यवाही विचाराधीन है। प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
6. पंचायतीराज चुनाव में किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत घोषणा करने पर आप क्या कार्यवाही कर सकते हैं क्या आप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के उपरोक्त पत्र के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं। यदि आप सचिव, राज्य निर्वाचन जयपुर के उपरोक्त पत्रांक के अनुसार कार्यवाही कर सकते हो। सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: सू.का.अ./2022/674-75 दिनांक 28.01.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 9.8.2021 के बिन्दु संख्या 1, 2,5 पर वर्णित कोई शिकायत/परिवाद प्राप्त नहीं होने के कारण कोई सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं होने के कारण अपीलान्त को सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 3, 4,6 की सूचना के संबंध में अपीलान्त को जरिये पत्रांक 673 दिनांक 28.1.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,5 की सूचना से संबंधित परिवाद/शिकायत उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के कार्यालय में प्रस्तुत होना नहीं पाये जाने के कारण परिवाद/शिकायत पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है तथा बिन्दु संख्या 3,4,6 पर चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर